संख्याः– 443 /XIV–1/2009

प्रेषक,

आर0सी0पाठक,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 16 जून, 2009

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1288/नियो0/अनुदान/ 2009–10 दिनांक 19.05.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत 5.00 लाख रूपये (रूपये पांच लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नाकिंत शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं–

(1) उक्त योजना का शासनादेश संख्या 6938–43/व0ग्रा0वि0/सह0/2003–04 दिनांक 17 मार्च 2004 के निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली 2004 के शर्तो/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त योजना का 31 मार्च को जमा निक्षेप का वार्षिक अंशदान 0.30 प्रतिशत के अनुसार (वर्ष दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर) अनुमन्य होगा।

(3) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक के अंशदान जो कि क्रमशः 0.15, 0.10 एवं 0.05 (वर्ष के दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर) है, जमा किया जाय। उक्त योजना का अनुश्रवण दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित की जाय तथा उसकी प्रगति से शासन को भी अवगत करायें।

(4) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह के अन्त में या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या –18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–10–पैक्स मिनी बैंको में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या– 103 (P)/ XXVII –4/2009 दिनांक 02.06.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0सी0पाठक)
अपर सचिव।

संख्याः– 443 (1)/XIV–1/2009 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 .महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री सहकारिता, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।